कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

सं.स्था(लेखापरीक्षा)/कोविड-19/21-22/सी-06 **दिनांक 06.04.2021**

कार्यालय आदेश

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश सं. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 23.03.2021 द्वारा मार्गदर्शन जारी किया है जो 30.04.2021 तक प्रभावी होगा । गृह मंत्रालय के आदेश की प्रति सूचना व अनुपालन के लिए संलग्न है । गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त आदेश के मद्देनजर एवं मुख्यालय परिपत्र सं. 179-Estate/11-2020 दिनांक 05.04.2021 के आलोक में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. सभी वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सभी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थित होंगे ।

2. सभी एम.टी.एस. सभी कार्यदिवस को कार्यालय आएंगे एवं अपने-अपने अनुभाग की सफाई सुनिश्चित करें ।

3. बाकि स्टॉफ की उपस्थिति के संचालन के लिए सभी शाखा अधिकारी अपने समूह अधिकारी द्वारा अनुमोदित रोस्टर तैयार करेंगे ताकि प्रतिदिन 33 प्रतिशत स्टॉफ का घर से कार्य करना सुनिश्चित हो सके । दिनांक 30.04.2021 तक या अगले आदेश तक रोस्टर लागू रहेंगी ।

4. सभी अधिकारी/कर्मचारी जो कटेन्मेन्ट जोन में रह रहे हैं, उनको कार्यालय आने से छुट मिलेगी, जबतक की कन्टेनमेन्ट जोन की अधिसूचना रद्द न हो जाए । वे जिला प्रशासन द्वारा कन्टेनमेंट जोन अधिसूचित किए जाने से संबंधित कार्यालय को सूचित करेंगे ।

5. वैसे अधिकारी/कर्मचारी जो विशेष दिन में कार्यालय नहीं आते हैं, वे घर से कार्य करेंगे एवं उन्हें हमेंशा टेलीफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर उपलब्ध रहना चाहिए ।

6. कार्यकारी स्कंध यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी एवं कर्मचारी जो कार्यालय आते हैं, वे कार्यालय में भीड़ से बचने के लिए एक समय पर कार्यालय न आकर निम्न तरह से कार्यालय आएँगे :-

प्रथम तल	जी.डी., हिंदी अनुभाग, फिनाट, दावा-1 एवं 2, डी.ए. ग्रुप	9:00 बजे पूर्वाहन से 5:30 अपराहन
	स्थापना,आई.टी.ए.,निष्पादन लेखापरीक्षा, रिपोर्ट(ए.एम.जी.-IV), पी.पी.जी., आर.टी.आई.,सभी सचिवालय	9:30 बजे पूर्वाहन से 6:00 अपराहन
	कल्याण, इस्टेट सेल, रिकार्ड, गोपनीय शाखा, प्रशिक्षण एवं परीक्षा, कैश, ए.एम.एस.	10:00 बजे पूर्वाहन से 6:30 अपराहन
चौथा तल	ए.एम.जी.-III	9:00 बजे पूर्वाहन से 5:30 अपराहन
	ए.एम.जी.-II ए.एम.जी.I(टी.एस.सी.), रिपोर्ट(ए.एम.जी.-I), लोक लेखा समिति, प्रशासन-II	9:30 बजे पूर्वाहन से 6:00 अपराहन
	ए.एम.जी.-V सचिवालय सहित	10:00 बजे पूर्वाहन से 6:30 अपराहन
5वें एवं छठे तल	एफ.ए.डब्ल्यु.	9:00 बजे पूर्वाहन से 5:30 अपराहन
	ए.एम.जी.-I, रिपोर्ट(ए.एम.जी.II एवं III), रिपोर्ट ए.एम.जी.V	9:30 बजे पूर्वाहन से 6:00 अपराहन
	ए.एम.जी.-IV	10:00 बजे पूर्वाहन से 6:30 अपराहन

तदनुसार, जहाँ तक सम्भव हो, लन्च ब्रेक स्टैगरिन्ग समयानुसार किया जाए ।

7. सभी अधिकारी/कर्मचारी जो वरीयता समूह में हैं(NEGVAC के सिफारिश के अनुसार), उन्हें पूरे देश में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में कोविड-19 के विरुद्द टीका लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

8. सभी अधिकारी/कर्मचारी समय -समय पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत गृह मंत्रालय एवं MoHFW द्वारा जारी एहतियात निर्देशों का एवं कोविड के सामान्य नियमों का पालन करेंगे ।

9. कार्यालय आदेश सं. Estt (Au)/Covid-19/2020-21/C337 दिनांक 24.02.2021 द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों का भी इमानदारीपूर्वक पालन किया जाएगा ।

10. उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

यह महालेखाकार द्वारा अवलोकित है ।

हस्ता/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. सचिव, महालेखाकार(लेखापरीक्षा)बिहार, पटना
2. सभी समूह अधिकारी के सचिवालय
3. सभी नियंत्रण समूह एवं अनुभागों के वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
4. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस., कार्यालयी वेबसाईट पर आदेश की प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ
5. कार्यालय आदेश फाईल
6. सूचना पट्ट

हस्ता/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन)